(वीडियो कांफ्रेंसिंग द्वारा)

दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली

आरक्षित : 02.08.21
निर्णय घोषित : 03.09.21

जमानत अर्जी 2150/2021

तेजिंदर पाल सिंह ....याचिकाकर्ता

द्वारा: श्री कीर्ति उप्पल, वरिष्ठ अधिवक्ता के साथ श्री जसप्रीत सिंह राय, श्री सिद्धार्थ चोपड़ा, सुश्री रिया गुलाटी, श्री हिमांशु बिधूड़ी और श्री जसदीप एस.ढिल्लों, धिवक्तागण|

बनाम

राज्य (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली) ....प्रत्यर्थी

द्वारा: सुश्री रजनी गुप्ता, राज्य की अति. लो. अभि. के साथ दिनेश बेनीवाल, उपनिरीक्षक पुलिस थाना आरके पुरम ।

श्री चेतन शर्मा, अति. म. स. के साथ श्री अजय दिगपाल, के.स.स्था.अधि. एवं श्री कमल आर दिगपाल, यू.ओ.आई.के अधिवक्ता।

कोरम :
माननीय न्यायाधीश श्री रजनीश भटनागर

आदेश

न्या. रजनीश भटनागर

1. वर्तमान जमानत अर्जी याचिकाकर्ता द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 438 के तहत दायर की गई है जिसमें पुलिस थाना आर.के पुरम, नई दिल्ली में भारतीय दंड संहिता की धारा 420/468/471 के तहत दर्ज प्राथमिकी सं. 10/2021 में अग्रिम जमानत की मांग की गई है।

2. वर्तमान मामले के तथ्यों को संक्षेप में कहा गया है कि शुरू में एक अवतार सिंह सुन्नर पुत्र तरसेम सिंह निवासी वार्ड नंबर 9, 11 जी, श्री गंगानगर, राजस्थान ने याचिकाकर्ता तेजिंदर पाल सिंह के खिलाफ शिकायत दर्ज की थी जो जांच के लिए पासपोर्ट कार्यालय जयपुर से एसपी कार्यालय श्री गंगानगर, राजस्थान में प्राप्त हुई थी।

3. उस शिकायत में यह आरोप लगाया गया है कि याचिकाकर्ता पुलिस थाना कोतवाली, श्री गंगानगर, राजस्थान में एक हिस्ट्रीशीटर है और वह भिंडरवाला के साथ गतिविधियों में शामिल रहा है और जेल भी गया है। उनकी फोटो भी पुलिस स्टेशन में है और इसके बावजूद उनके पास दिल्ली और जयपुर के पासपोर्ट हैं।यह भी आरोप है कि जयपुर से जारी पासपोर्ट का नवीनीकरण हो गया और याचिकाकर्ता विदेश यात्रा कर रहा

है।शिकायतकर्ता अवतार सिंह ने जांच की मांग की कि हिस्ट्रीशीटर को पासपोर्ट कैसे मिला और उसका नवीनीकरण कैसे किया गया।

4. उक्त शिकायत एसपी कार्यालय, पत्र दिनांक 29.08.2018 के द्वारा जांच के लिए थानाध्यक्ष कोतवाली, श्री गंगानगर, राजस्थान को भेजी गई थी, जो ईओ सहायक उप निरीक्षक लाल बहादुर चंदर पुलिस थाना द्वारा जांच की गई थी। जांच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता तेजिंदर पाल सिंह पुत्र सुरजीत सिंह मूल रूप से एचएन 416, विनोबा बस्ती, श्री गंगानगर राजस्थान के निवासी हैं और वर्तमान में, 2011 से उसी इलाके में एचएन 619 में रह रहे हैं। वह आपराधिक पृष्ठभूमि से है और 1983 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है। उसे 1992 में पुलिस थाना कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर घोषित किया गया था और हिस्ट्रीशीटर होने के कारण उसे उपरोक्त पते पर कोई पासपोर्ट प्राप्त करना संभव नहीं था।लेकिन उसने इन तथ्यों को छुपाया और 2005 में पासपोर्ट कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली में पासपोर्ट के लिए आवेदन किया जबकि खुद को 3 मंजिल, एचएन 407, न्यू राजेंद्र नगर, दिल्ली का स्थायी निवासी दिखाया, वास्तव में उनकी भाभी अर्थात् मिस मंजू टिहरी डब्ल्यू/ओ कैलाश का निवासी था। पासपोर्ट आवेदन

पत्र के साथ, उन्होंने दिल्ली के एक जाली/संपादित मतदाता कार्ड जिसका नंबर DL/07/067/12409 Dt। 29.12.1995 उस पर अपना नाम और तस्वीर और सरकार का एक नकली स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र स्कूल, बीबीरानी, अलवर, राजस्थान दिखाया| पूछताछ के बाद दोनों दस्तावेज जाली पाए गए और यह पता चला कि मतदाता पहचान पत्र जिसे उसने संपादित किया था, वास्तव में कैलाश पुत्र हुकुमचंद, (मंजू के पति) का है। याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान की गई उपरोक्त झूठी जानकारी और जाली/मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर, उसे पासपोर्ट कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली द्वारा दिनांक 30.03.2005 से दिनांक 29.03.2015 तक वैध पासपोर्ट नंबर F2911333 जारी किया गया था। उपरोक्त पासपोर्ट की समाप्ति के बाद, उन्हें एक नया पासपोर्ट सं. N5299438 दिनांक 30. 11. 2015 जयपुर पासपोर्ट कार्यालय से उसके वास्तविक पते अर्थात् एचएन 619, विनोबा बस्ती, श्री गंगानगर, राजस्थान पिछले पासपोर्ट की निरंतरता में मिला|

5. जांच के बाद, दिल्ली के अधिकार क्षेत्र का पता चलने पर, मामला एसपी, श्री गंगानगर द्वारा अपने कार्यालय पत्र दिनांक2019/06/17 द्वारा अधीक्षक, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (आरपीओ), भीकाजी कामा

प्लेस, आरके पुरम दिल्ली को भेजा गया था| आगे, श्री सुरेश यादव, वरिष्ठ अधीक्षक (नीति), क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली ने झूठी जानकारी प्रस्तुत करने उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले (ओं) के बारे में जानकारी को दबाने और नकली/जाली टेम्पर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता के विरुद्ध शिकायत दिनांक 15.12.2020 को डीसीपी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली को दर्ज की| आगे की कानूनी कार्रवाई के लिए शिकायत पुलिस थाना आरके पुरम, दिल्ली में प्राप्त हुई।

6. अपनी शिकायत में, उन्होंने आरोप लगाया कि याचिकाकर्ता को एक स्पष्ट पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के आधार पर आरपीओ, आरके पुरम, दिल्ली से पासपोर्ट सं. एफ 2911333 30.03.2005 जारी किया गया था। ।इसके अलावा, उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस अधीक्षक, श्री गंगानगर राजस्थान ने एक श्री अवतार सिंह की शिकायत पर याचिकाकर्ता तेजिंदर पाल सिंह के खिलाफ एक जांच की और एसपी, श्री गंगानगर की जांच रिपोर्ट के अनुसार, याचिकाकर्ता की आपराधिक पृष्ठभूमि का पता चला और याचिकाकर्ता द्वारा विचाराधीन पासपोर्ट प्राप्त करने के लिए यानी F2911333, आर पी ओ, दिल्ली में

प्रस्तुत स्कूल के दस्तावेजों एवं मतदाता पहचान पत्र जाली एवं छेड़छाड़ पाए गए। उक्त शिकायत पर प्रारंभिक जांच, और राजस्थान पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर, वर्तमान एफआईआर नंबर 10/2021 भारतीय दंड संहिता की धारा 420/468/471 के अंतर्गत पुलिस थाना आरके परम, दिल्ली में दर्ज किया गया था।

7. मैंने याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता, राज्य के लिए फ़ाज़िल एएसजी को सुना एवं याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा दायर लिखित प्रस्तुतियाँ का अवलोकन किया और राज्य द्वारा दायर स्थिति रिपोर्ट का भी अवलोकन किया।

8. याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा यह प्रस्तुत किया जाता है कि शिकायत 14 साल बाद दर्ज की गई है और यह एक प्रेरित शिकायत है। याचिकाकर्ता के फ़ाज़िल अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन का पूरा मामला उन दस्तावेजों की स्कैन की गई फोटोकॉपी पर आधारित है जो याचिकाकर्ता द्वारा 2005 में दिल्ली से अपना पासपोर्ट जारी करने के लिए दिए गए थे और दस्तावेजों में स्पष्ट विसंगतियां हैं।उनके द्वारा यह प्रस्तुत किया गया

है कि पासपोर्ट आवेदन पत्र में कमियां हैं और पासपोर्ट फॉर्म के अवलोकन से यह स्पष्ट हो जाएगा कि कोई भी पासपोर्ट अधिकारी/प्राधिकरण ऐसी विसंगतियों के मद्देनजर पासपोर्ट जारी नहीं कर सकता था।उनके द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि पासपोर्ट फॉर्म के कॉलम नंबर 16 में जो जानकारी मांगी गई थी, उसका याचिकाकर्ता पर कोई असर नहीं पड़ा क्योंकि याचिकाकर्ता को 5 साल की अवधि के लिए आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी प्रस्तुत करना अपेक्षित था जो आवेदन की तारीख से तुरंत पहले तक का था, इसलिए याचिकाकर्ता के पास संबंधित को छिपाने का कोई कारण नहीं था

इसलिए, उन्होंने पासपोर्ट जारी करने के लिए दिल्ली को चुना क्योंकि वह 2001 से 2005 तक दिल्ली में रह रहे थे।

9. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने प्रासंगिक जानकारी को छुपाया है और यह खुलासा करने में विफल रहा है कि अभियोजन पक्ष ने पासपोर्ट कार्यालय से दस्तावेजों की मांग की है और पासपोर्ट कार्यालय ने स्पष्ट रूप से इस

आधार पर इनकार किया है कि मूल को केवल एक वर्ष की अवधि के लिए रखा जाता है। उनके द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि आरटीआई के तहत पासपोर्ट कार्यालय द्वारा याचिकाकर्ता को प्रदान किए गए दस्तावेजों में याचिकाकर्ता का राशन कार्ड नहीं है और राशन कार्ड की अनुपस्थिति दस्तावेजों के हेरफेर पर अधिक संदेह पैदा करती है और पासपोर्ट कार्यालय को प्रस्तुत सत्यापन रिपोर्ट दिनांक 11.03.2005 को न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि अभियोजन पक्ष ने यह छिपाया है कि वर्ष 2015 में, आवेदक/याचिकाकर्ता के पासपोर्ट को नवीनीकृत करते समय, श्री गंगा नगर पुलिस द्वारा एक स्पष्ट सत्यापन रिपोर्ट जारी की गई थी। याचिकाकर्ता को पासपोर्ट ज़ारी करने की सिफारिश करते हुए यह प्रमाणित करती है कि उसके पास अच्छा नैतिक चरित्र और प्रतिष्ठा है।

10. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ कार्रवाई केवल पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत की जा सकती है और सामान्य कानून के तहत कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की जा सकती है अर्थात् भारतीय दंड संहिता एवं पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 के तहत प्रदान की गई सजा दो साल है। उनके द्वारा आगे प्रस्तुत किया गया है कि

पासपोर्ट कार्यालय, जयपुर द्वारा याचिकाकर्ता को कारण बताओ नोटिस दिनांक 03 जुलाई 2019 जारी किया गया था एवं कारण बताओ नोटिस के आगे, याचिकाकर्ता ने अपने दो पासपोर्ट अर्थात् 2005 में बनाए गए अपने पुराने पासपोर्ट और 2015 में पासपोर्ट कार्यालय जयपुर के साथ नया पासपोर्ट जमा किया है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के विरुद्ध पासपोर्ट अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत कोई मंजूरी नहीं ली गई है और इसके मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई अभियोजन स्थापित नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने 2008 के सीआरआर 4057 में मैल्कम वार मैकलॉड बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय और मिस टेस्पल डिकी बनाम 2015 के आपराधिक याचिका संख्या 4239 में आव्रजन अधिकारी के मामले में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है।

11. दूसरी ओर, यह प्रत्यर्थी (राज्य) की ओर से फ़ाज़िल एएसजी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है कि याचिकाकर्ता की की आपराधिक पृष्ठभूमि है और 1983 से आपराधिक गतिविधियों में शामिल है और 1998 में पुलिस थाना कोतवाली में हिस्ट्री शीटर घोषित किया गया है और

इसलिए,उसके लिए 2005 में पासपोर्ट कार्यालय भीकाजी कामा प्लेस में कोई पासपोर्ट प्राप्त करना संभव नहीं था और उसने खुद को 3 मंजिल, एचएन 407, न्यू राजेंद्र नगर, दिल्ली के स्थायी निवासी के रूप में दिखाया जो वास्तव में उसकी भाभी का निवास था। आगे फ़ाज़िल ए एस जी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पासपोर्ट आवेदन पत्र के साथ उन्होंने दिल्ली के जाली/संपादित मतदाता कार्ड सं. DL/07/067/12409 दिनांक 29.12.1995 प्रस्तुत किया है जिस पर अपना नाम और तस्वीर दिखाते हुए और सरकार का एक नकली स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र स्कूल, बीबीरानी अलवर, राजस्थान है | आगे प्रस्तुत किया कि पूछताछ के बाद दोनों दस्तावेजों को जाली और मतदाता पहचान पत्र को सम्पादित पाया गया वास्तव में कैलाश (मंजू के पति, भाभी) का है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि गलत जानकारी और जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर, याचिकाकर्ता को पासपोर्ट कार्यालय, भीकाजी कामा प्लेस, दिल्ली द्वारा दिनांक 30.03.2005 से दिनांक 29.03.2015 तक वैध पासपोर्ट सं. F2911333 जारी किया गया था। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि उपरोक्त पासपोर्ट की समाप्ति के बाद उन्हें जयपुर पासपोर्ट कार्यालय

द्वारा एक नया पासपोर्ट सं. N5299438 दिनांक 30. 11. 2015 अपने वास्तविक पते पर यानी एचएन 619, विनोबा बस्ती, श्री गंगानगर, राजस्थान में अपने पिछले पासपोर्ट की निरंतरता में मिला ।

12. फ़ाज़िल ए एस जी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि पूछताछ पर, मामला को SP, श्री गंगानगर के पत्रांक दिनांक 17.06.2019 द्वारा अधीक्षक, क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय (RPO), भीकाजी कामा प्लेस, आर के पुरम दिल्ली को भेजा गया था। उन्होंने आगे कहा कि वरिष्ठ अधीक्षक (नीति), क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी, दिल्ली ने डीसीपी, दक्षिण पश्चिम दिल्ली को झूठी जानकारी प्रस्तुत करने, उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले (ओं) के बारे में जानकारी को दबाने और नकली/जाली टेम्पर दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए शिकायत दिनांक 15. 12. 2020 को दर्ज की|

13. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि जांच के दौरान अपेक्षित प्रमाणित दस्तावेज अर्थात् पासपोर्ट आवेदन पत्र, उक्त आवेदन जमा करने के समय प्रस्तुत दस्तावेज और श्री गंगा नगर के एसपी कार्यालय

से प्राप्त पुलिस पूछताछ आख्या की प्रति क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय, आरके पुरम से प्राप्त हुई। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि सुपरनेटेड (पॉलिसी) आरपीओ, दिल्ली ने भी दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस के संबंध में जवाब दिया कि मूल पासपोर्ट आवेदन पत्र/फाइल को हस्तलिखित रूप से प्रस्तुत किया गया था जो याचिकाकर्ता द्वारा दिनांक 20.01.2005 को हस्ताक्षरित थी|

14. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि आवेदन पत्र के साथ संलग्न मतदाता कार्ड के प्रत्यय पत्र दिनांक 29.12.1995 को एईआरओ कार्यालय, राजेंद्र नगर, दिल्ली से सत्यापन कराया गया था और यह पाया गया कि इसे याचिकाकर्ता को जारी नहीं पाया गया था और यह एक कैलाश के नाम पर पाया गया था जो मंजू का पति है।

15. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, बिबिरानी, अलवर, राजस्थान के प्राचार्य द्वारा जारी याचिकाकर्ता के नाम पर स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र संख्या 260, प्रवेश संख्या 35, दिनांक 06.04.1973 की प्रति जो पासपोर्ट आवेदन पत्र

के साथ संलग्न थी, को भी जाली पाया गया।यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 16 पिछली संलिप्ताएं शामिल हैं।

16. फ़ाज़िल ए एस जी द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट के आधार पर कम से कम 4 बार यात्रा की है, जो जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर तैयार हुआ है । यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि दस्तावेजों का स्व सत्यापन केवल वर्ष 2014 में शुरू हुआ था और इससे पहले, आवेदन पत्र के साथ जमा होने वाले दस्तावेजों की प्रतियों को एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा सत्यापित किया जाना आवश्यक था और स्वयं सत्यापित होने की आवश्यकता नहीं थी। यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि प्रश्नगत दस्तावेज अर्थात मतदाता कार्ड और स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र जो पासपोर्ट आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत किए गए थे वह किसी अवतार सिंह के नाम पर सत्यापित और हस्ताक्षरित हैं, लेकिन स्टांप स्पष्ट नहीं है, लेकिन वह एक सरकारी अधिकारी प्रतीत होता है जो उसी के द्वारा अपेक्षित है।

17. यह आगे प्रस्तुत किया गया है कि चूंकि याचिकाकर्ता 2005 में एक हिस्ट्रीशीटर था, इसलिए उसे पता था कि उसे अपने गंगा नगर पते पर पासपोर्ट जारी नहीं किया जाएगा, इसलिए उसने पासपोर्ट जारी करने के लिए झूठे और मनगढ़ंत दस्तावेजों का इस्तेमाल किया। फ़ाज़िल ए एस जे द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने याचिका के साथ कुछ दस्तावेजों की प्रतियां संलग्न की हैं और याचिका के साथ दायर राशन कार्ड पर पता अस्पष्ट और भ्रामक है। आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि सीनियर अधीक्षक, आरपीओ, दिल्ली ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 91 के अंतर्गत नोटिस के संबंध में जवाब दिया है कि याचिकाकर्ता ने पासपोर्ट आवेदन के नीचे की घोषणा पर हस्ताक्षर किया था कि आवेदन पत्र में दी गई जानकारी सही थी, इसलिए वह उसके द्वारा प्रस्तुत किये गए दस्तावेजों की सत्यता एवं सटीकता के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है ।

18. फ़ाज़िल ए एस जे द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता ने कुछ आरटीआई आवेदनों के बारे में उल्लेख किया है लेकिन सभी आरटीआई आवेदन पासपोर्ट कार्यालय जयपुर के समक्ष दायर किये गए है जबकि प्रश्नगत पासपोर्ट आरपीओ, आरके पुरम,

दिल्ली द्वारा जारी किया गया है। फ़ाज़िल ए एस जे द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया गया है कि जाली दस्तावेजों के आधार पर जारी किए गए मूल पासपोर्ट को बरामद करने के लिए याचिकाकर्ता से हिरासत में पूछताछ की आवश्यकता है जो उसके यात्रा इतिहास के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए आवश्यक है जो उस विशेष अवधि के दौरान विदेशी यात्राओं के पीछे याचिकाकर्ता के मकसद का पता लगाने के लिए अपेक्षित है एवं जाली दस्तावेजों यानी मतदाता कार्ड और स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र को बरामद करने के लिए; इस साजिश का पता लगाने के लिए कि जाली और मनगढ़ंत दस्तावेजों के आधार पर पासपोर्ट प्राप्त करने की याचिकाकर्ता को क्या आवश्यकता थी एवं आगे अवतार सिंह की मुहर के बारे में पूछताछ करने के लिए जिसके द्वारा जाली और मनगढ़ंत मतदाता कार्ड और स्कूल स्थानांतरण प्रमाण पत्र की प्रतिलिपि सत्यापित की गई थी।

19. वर्तमान मामले में याचिकाकर्ता अग्रिम जमानत देने की मांग कर रहा है और जहां तक पासपोर्ट अधिनियम की धारा 12 की प्रयोज्यता का सवाल है, याचिकाकर्ता द्वारा आरोप पर बहस के समय इसे उठाया जा

सकता है और यह एक याचिका नहीं है जहां याचिकाकर्ता विचाराधीन एफआईआर को रद्द करने की मांग कर रहा है।

20. वर्तमान मामले में, एक अवतार सिंह सुन्नर द्वारा शिकायत दर्ज की गई थी, जिसे एसपी कार्यालय पत्रांक दिनांक 29.08.2018 द्वारा थानाध्यक्ष पुलिस थाना कोतवाली, श्री गंगानगर राजस्थान को को जांच के लिए भेजा गया था। वर्तमान मामला दस्तावेजों पर आधारित है और दस्तावेज पहले से ही अभियोजन पक्ष की हिरासत में हैं। इस मामले के अभिलेख से, यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ता ने पहले ही वर्ष 2005 में जारी किए गए अपने मूल पासपोर्ट के साथ-साथ पासपोर्ट कार्यालय जयपुर द्वारा जारी दिनांक 25 जुलाई, 2019 के पत्र के अनुपालन में वर्ष 2015 में जारी मूल पासपोर्ट को सौंप दिया है | इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता की हिरासत इन पासपोर्ट की वसूली के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

21. अभियोजन पक्ष का एक अन्य तर्क यह है कि वे याचिकाकर्ता की विदेश यात्राओं के उद्देश्य को जानना चाहते थे जिसके लिए याचिकाकर्ता की हिरासत की आवश्यकता है। जहां तक मेरी राय में, इस

प्रश्न का सम्बन्ध है यहाँ पर भी कोई बल नहीं है क्योंकि यह दिखाने के लिए अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि याचिकाकर्ता विदेश में रहते हुए अवैध गतिविधियों में लिप्त है और यह दिखाने के लिए भी अभिलेख पर कुछ भी नहीं है कि उसके किसी भी आतंकवादी संगठन के साथ कोई संबंध है ।

22. अभियोजन पक्ष ने याचिकाकर्ता के खिलाफ 16 मामलों की अभिलेख सूची रखी है और जिनमें से 5 मामलों में समझौता हुआ है और 5 मामलों में वह बरी हो गया है। एक मामले में आरोप तय नहीं किया जा सका। उसे 2 मामलों में दोषी ठहराया गया है और अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार दोषसिद्धि वर्ष 1994 और 2012 से संबंधित है। वर्तमान मामले सहित तीन मामले विचारण के लिए लंबित हैं।

23. अभियोजन पक्ष ने पासपोर्ट सं. F2911333 के आधार पर याचिकाकर्ता के यात्रा इतिहास को भी अभिलेख पर रखा है जो अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने जाली दस्तावेजों पर तैयार करवाया है। विवरण से पता चलता है कि याचिकाकर्ता द्वारा की गई अंतिम

यात्रा दिनांक 05. 03. 2013 और वह दिनांक 09.03.2013 को वापस लौटा लेकिन उक्त इतिहास में यह उल्लेख नहीं किया गया है कि याचिकाकर्ता किस स्थान पर गया है, जिसका विवरण पासपोर्ट में पाया जा सकता है। अभियोजन पक्ष के अनुसार याचिकाकर्ता ने दिनांक 09.03.2013 के बाद कोई विदेशी यात्रा नहीं की है। अभियोजन पक्ष याचिकाकर्ता की ओर से किसी भी गैरकानूनी गतिविधि को अभिलेख पर रखने में विफल रहा है जो राज्य की सुरक्षा के लिए हानिकारक हो सकता है और अभियोजन पक्ष के अनुसार तथ्य यह है कि याचिकाकर्ता ने 2013 के बाद विदेश यात्रा नहीं की है और यह ध्यान रखना उचित है यहां अभियोजन पक्ष द्वारा अभिलेख पर कुछ भी नहीं रखा गया है कि उस अवधि के दौरान जिस अवधि में याचिकाकर्ता ने विदेश यात्रा की, देश में कुछ घटनाएं हुईं, जिसमें याचिकाकर्ता ने भूमिका निभाई या 2013 के बाद राज्य की सुरक्षा से जुड़ा कोई अपराध जो याचिकाकर्ता को शामिल करने के बाद हुआ हो ।

24. यहां ऊपर वर्णित चर्चाओं के मद्देनजर, और इस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के संबंध में, आवेदन की अनुमति है और यह आदेश दिया जाता है कि गिरफ्तारी की स्थिति में, संबंधित आईओ/एसएचओ

की संतुष्टि के अनुसार याचिकाकर्ता को 50,000/- रुपये की राशि के व्यक्तिगत बंधपत्र के साथ समान राशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए। हालांकि, याचिकाकर्ता को जांच अधिकारी द्वारा बुलाए जाने पर जांच में शामिल होने के लिए निर्देशित किया जाता है। आवेदन तदनुसार निपटाया जाता है।

25. यहाँ ऊपर वर्णित कुछ भी इस मामले के गुणों पर किसी भी राय की अभिव्यक्ति के समान नहीं होगा।

न्या., रजनीश भटनागर,

सितम्बर 03, 2021

सुमंत

(SUVAS :Translation has been done through AI Tool)

<u>अस्वीकरण</u> *:देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सके एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा /समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु आदेश का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी/*